(ग) किसी माल का, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, निर्यात करने का प्रयास करता है; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में, इस अधिनियम में उपबंधित शुल्क की वापसी या उससे कोई छूट कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा,

तो वह,—

(i) निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध की दशा में,—

(अ) ऐसा कोई माल जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, या

(आ) तीस लाख रुपए से अधिक शुल्क का अपवंचन या अपवंचन का प्रयास, या

(इ) प्रतिषिद्ध माल के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,, या

(ई) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या कोई छूट प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, यदि शुल्क की वापसी या छूट की रकम तीस लाख रुपए से अधिक है,

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से दंडनीय होगाः

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 156 का संशोधन।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(कक) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आयातित माल या निर्यातित माल के मूल्य का अवधारण करने की रीति;" ।

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

105. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,— 1975 का 51

(i) पहली अनुसूची का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) दूसरी अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

धारा 3 का संशोधन।

106. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में,— 1944 का 1

(i) परंतुक के खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण 2 में,—

(क) खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(iii) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में है ।' । 2005 का 28

धारा 11ख का संशोधन।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के स्पष्टीकरण के खंड (आ) के उपखंड (डख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डग) ऐसी दशा में जहां शुल्क, अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है वहां ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की तारीख;" ।

धारा 23क का संशोधन।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसा अनिवासी है जिसका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।

धारा 31 का संशोधन।

109. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (ग) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "मामला" से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के लिए ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित होः

परंतु जब किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही को, यथास्थिति, किसी अपील या

पुनरीक्षण में, यथास्थिति, नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है तब उस कार्यवाही को इस खंड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा ;'।

धारा 32क का संशोधन।

110. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32क की उपधारा (6) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, यदि वह यह समझता है कि मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो वह तीन सदस्यों वाली ऐसी न्यायपीठ का गठन कर सकेगा और यदि उपाध्यक्ष सदस्यों में से नहीं है तो सदस्यों में से ज्येष्ठ सदस्य ऐसी न्यायपीठ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।"।

धारा 32ङ का संशोधन।

111. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) कोई निर्धारिती, अपने से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले में समझौता कराने के लिए समझौता आयोग को न्यायनिर्णयन से पूर्व आवेदन कर सकेगा, जिसमें उसके शुल्क दायित्व का, जो उसने उस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष, जिसकी उस पर अधिकारिता हो, प्रकट नहीं किया है, पूरा और सच्चा प्रकटीकरण ऐसी रीति, जिसमें ऐसा दायित्व व्युत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा संदेय रूप में स्वीकृत उत्पाद-शुल्क की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत ऐसे शुल्क्य माल की विशिष्टियां भी हैं, जिसकी बाबत उसने माल के गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट संबंधी अधिसूचना या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है जिसकी बाबत निर्धारिती द्वारा अपने दैनिक स्टॉक रजिस्टर में कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं और ऐसे किसी आवेदन का निपटारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगाः

परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब —

(क) आवेदक ने विहित रीति में, उत्पादन, अनापत्ति और संदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दर्शित करते हुए विवरणियां फाइल कर दी हैं ;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा जारी की गई शुल्क की वसूली के लिए हेतुक दर्शित करने वाली सूचना आवेदक द्वारा प्राप्त की गई है;

(ग) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपए से अधिक है; और

(घ) आवेदक अपने द्वारा स्वीकृत उत्पाद-शुल्क की अतिरिक्त रकम का धारा 11कख के अधीन देय ब्याज के साथ संदाय कर दिया हैः

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन समझौता आयोग द्वारा कोई आवेदन ऐसे मामलों में ग्रहण नहीं किया जाएगा, जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हैः

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अधीन शुल्क्य माल के वर्गीकरण के निर्वचन के लिए नहीं किया जाएगा ।

1986 का 5

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किन्तु धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा इस प्रकार आदेश की गई रकम का संदाय नहीं किया गया है, वहां आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का संदाय करेगा, जिसके न करने पर उसका आवेदन नामंजूर किए जाने के लिए दायी होगा ।"।

धारा 32च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

112. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 32ङ के अधीन आवेदन की प्राप्ति के संबंध में प्रक्रिया।

"32च. (1) धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने पश्चात् समझौता आयोग, सूचना की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या नामंजूर करेगा और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का नामंजूरी की तारीख से उपशमन हो जाएगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(3) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है वहां समझौता आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगाः

परंतु जहां आयुक्त तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले में आगे कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां

समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि मामले में आगे कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो आयुक्त (अन्वेषण) को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने का और समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित की किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगाः

परंतु जहां आयुक्त (अन्वेषण) पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(5) समझौता आयोग, अभिलेखों और उपधारा (3) के अधीन प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की रिपोर्ट और उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा उस पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात्, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त और आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के, जिसमें आवेदन किया गया था, अंतिम दिन से नौ मास के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसके असफल रहने पर समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही लम्बित थी, मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे करेगा मानो धारा 32ङ के अधीन कोई आवेदन किया ही नहीं गया था।

(7) धारा 32क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समझौता आयोग के समक्ष अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा और ऐसे आदेश को पारित करने के संबंध में धारा 32घ के उपबंध लागू होंगे ।

(8) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश में, समझौते के निबंधन उपबंधित होंगे, जिनके अंतर्गत शुल्क, शास्ति या ब्याज के रूप में कोई मांग, वह रीति, जिसमें समझौते के अधीन देय कोई राशि संदत्त की जाएगी और समझौते को प्रभावी करने के लिए अन्य सभी बातें होंगी और नामंजूरी की दशा में, उसके लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और उसमें यह भी उपबंध होगा कि समझौता उस दशा में शून्य हो जाएगा, जिसमें समझौता आयोग द्वारा बाद में यह पाया जाता है कि उसे कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु समझौता आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम धारा 32ङ के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी ।

(9) जहां निर्धारिती द्वारा, उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, संदेय किसी शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्ति का, उसके द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां ऐसी राशि, जो असंदत्त रह गई है उस पर देय ब्याज के साथ धारा 11 के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के रूप में वसूल की जाएगी ।

(10) जहां कोई समझौता उपधारा (8) के अधीन उपबंधित रूप में शून्य हो जाता है वहां समझौते के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कार्यवाहियां उस प्रक्रम से पुनः आरंभ हुई समझी जाएंगी, जिस पर आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए समझौता आयोग द्वारा अनुज्ञात किया गया था और अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों को ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से, कि समझौता शून्य हो गया है, दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा कर सकेगी ।"।

धारा 32ज का संशोधन।

113. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ज के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 32ङ के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 32झ का संशोधन।

114. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32झ की उपधारा (2) में, "(7)" और "(6)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(5)" और "(4)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 32ट का संशोधन।

115. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ट में, 1 जून, 2007 से—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति, जुर्माने या ब्याज के अधिरोपण से पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति और जुर्माने के अधिरोपण से भी पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्द रखे जाएंगे; 1860 का 45

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि 31 मई, 2007 को या उसके पूर्व समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा, मानो इस धारा में संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो।";

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 32च की उपधारा (7) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो समझौता आयोग अनुज्ञात करे" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 32च की उपधारा (5) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

116. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(5)"कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे। धारा 32ड का संशोधन।

117. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ढ में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "(5)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 32ढ का संशोधन।

118. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और— धारा 32ण का संशोधन।

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "जहां 1 जून, 2007 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां किसी निर्धारिती ने धारा 32ङ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 32च की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसा निर्धारिती किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 32ङ के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा निर्धारिती समझौते के लिए कोई आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा यदि पश्चात्वर्ती आवेदन में विवाद्यक, विवाद की अवधि और रकम से भिन्न उस विवाद्यक के समान है जिसकी बाबत पूर्वतर आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित है ।" ।

119. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32तक का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा । धारा 32तक का लोप।

120. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में,— धारा 35ङ का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यथास्थिति, केंद्रीय मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्तों या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगी ।";

(ii) उपधारा (4) में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ।

121. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 35च का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांगे गए शुल्क" के अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(i) धारा 11घ के अधीन अवधारित रकम;

(ii) भूल से लिए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग के अधीन संदेय रकम;

(iv) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन संदेय रकम;

(v) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय ब्याज ।"।

122. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 में,— धारा 37 का संशोधन।

(i) उपधारा (4) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

123. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में,— तीसरी अनुसूची का संशोधन।

(i) तीसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा; और

(ii) तीसरी अनुसूची का भी, खंड (i) में किए गए संशोधन के सिवाय, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, चौथी अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रीति से, संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

124. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।